रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 607] नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, अगस्त 30, 2018/भाद्र 8, 1940
No. 607] NEW DELHI, THURSDAY, AUGUST 30, 2018/BHADRA 8, 1940

भारतीय रिज़र्व बैंक

(विदेशी मुद्रा विभाग)

(केंद्रीय कार्यालय)

अधिसूचना

मुंबई, 30 अगस्त, 2018

सं.फेमा.20(R)(3)/ 2018-आरबी

विदेशी मुद्रा प्रबंध (भारत के बाहर के निवासी किसी व्यक्ति द्वारा प्रतिभूति का अंतरण अथवा निर्गम) (द्वितीय संशोधन) विनियमावली, 2018

सा. का.नि. 823 (अ).- विदेशी मुद्रा प्रबंध अधिनियम, 1999 (1999 का 42) की धारा 6 की उप-धारा (3) के खंड (बी) तथा धारा-47 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए भारतीय रिज़र्व बैंक एतद्द्वारा समय-समय पर यथा-संशोधित विदेशी मुद्रा प्रबंध (भारत के बाहर के निवासी किसी व्यक्ति द्वारा प्रतिभूति का अंतरण अथवा निर्गम) विनियमावली, 2017 (दिनांक 07 नवंबर 2017 की अधिसूचना सं.फेमा 20(आर)/2017-आरबी) (जिसे इसके पश्चात "मूल विनियमावली" कहा गया है) में निम्नलिखित संशोधन करता है, अर्थात:-

1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ

(i) इन विनियमों को विदेशी मुद्रा प्रबंध (भारत के बाहर के निवासी किसी व्यक्ति द्वारा प्रतिभूति का अंतरण अथवा निर्गम)(द्वितीय संशोधन) विनियमावली, 2018 कहा जाएगा।

(ii) यह विनियमावली सितंबर -2018 माह के पहले दिन से लागू होगी।

2. विनियम-13 में संशोधन

(i) उप-विनियम 13.1 के मौजूदा खंड (1) को हटा दिया गया है।

(ii) उप-विनियम 13.1 के मौजूदा खंड (11) को निम्नलिखित द्वारा प्रतिस्थापित किया गया है ; अर्थात :

(11) डाउनस्ट्रीम निवेश

(i) कोई भारतीय एंटीटी अथवा निवेश माध्यम, जिसने किसी अन्य भारतीय एंटीटी में डाउनस्ट्रीम निवेश किया है, और जिसे इस विनियमावली के तहत निवेश प्राप्तकर्ता भारतीय एंटीटी हेतु अप्रत्यक्ष विदेशी निवेश माना जाता है, ऐसे निवेश करने के 30 दिन के भीतर औद्योगिक सहायता सचिवालय, डीआईपीपी को अधिसूचित करेगी तथा ऐसा नए/ विद्यमान उद्यमों में निवेश के प्रकारों (विस्तार कार्यक्रम सहित अथवा उसके बिना) सहित पूंजीगत लिखतों का आबंटन नहीं करने के बावजूद भी किया जाएगा।

(ii) **"फ़ॉर्म डी.आई.** भारतीय एंटीटी अथवा किसी निवेश माध्यम (वेहिकल), जिसने किसी अन्य भारतीय एंटीटी में डाउनस्ट्रीम निवेश किया है, और जिसे इस विनियमावली के विनियम-14 के तहत निवेश प्राप्तकर्ता भारतीय एंटीटी हेतु अप्रत्यक्ष विदेशी निवेश माना जाता है, को इस प्रकार की पूंजीगत लिखतों के आबंटन की तारीख से 30 दिनों के भीतर रिज़र्व बैंक के पास फ़ॉर्म डी.आई. फ़ाइल करना होगा।"

(iii) उप-विनियम 13.1 के मौजूदा खंड (12) के पश्चात निम्नलिखित को खंड (13) के रूप में जोड़ दिया गया है: अर्थात

(13) "फ़ॉर्म इनवी (InVi) : कोई निवेश माध्यमों (वेहिकल) जिसने भारत के बाहर के निवासी व्यक्ति को अपने यूनिट जारी किए हैं, वे ऐसे यूनिटों के निर्गम की तिथि के 30 दिनों के भीतर रिज़र्व बैंक के पास फ़ॉर्म इनवी (InVi) फ़ाइल करेंगे।"

[फा. सं. 1/22/ईएम/2016/पार्ट II]

अजय कुमार मिश्र, मुख्य महाप्रबंधक

पाद टिप्पणी :

मूल विनियमावली दिनांक 7 नवम्बर 2017 के सा.का.नि..सं.1374(ई) द्वारा भारत सरकार के सरकारी राजपत्र के भाग II, खंड-3, उप-खंड(i) में प्रकाशित की गई थी और बाद में संशोधन के तहत

सा.का.नि.. 279(अ) दिनांक 26 मार्च, 2018

सा.का.नि..520(अ) दिनांक 01 जून, 2018

RESERVE BANK OF INDIA

(Foreign Exchange Department)

(CENTRAL OFFICE)

NOTIFICATION

Mumbai, the 30th August, 2018

No. FEMA.20(R) (3)/2018-RB

Foreign Exchange Management (Transfer or Issue of Security by a Person Resident outside India) (Second Amendment) Regulations, 2018

G.S.R. 823(E).— In exercise of the powers conferred by clause (b) of sub-section (3) of Section 6 and Section 47 of the Foreign Exchange Management Act, 1999 (42 of 1999), the Reserve Bank of India hereby makes the following amendments to the Foreign Exchange Management (Transfer or Issue of Security by a Person Resident outside India) Regulations, 2017 (Notification No. FEMA. 20 (R)/2017-RB dated November 07, 2017) (hereinafter referred to as 'the Principal Regulation'), namely:-

1. Short Title & Commencement

(i) These Regulations may be called the Foreign Exchange Management (Transfer or Issue of Security by a Person Resident outside India) (Second Amendment) Regulations, 2018.

(ii) They shall come into force with effect from the 1st day of September, 2018.

2. Amendment to Regulation 13

(i) The existing clause (1) of sub-regulation 13.1 is deleted.

(ii) The existing clause (11) of sub-regulation 13.1 is substituted with the following namely:

(11) Downstream Investment

(i) An Indian entity or an investment vehicle making downstream investment in another Indian entity which is considered as indirect foreign investment for the investee Indian entity in terms of these Regulations, shall notify the Secretariat for Industrial Assistance, DIPP within 30 days of such investment, even if capital instruments have not been allotted, along with the modality of investment in new / existing ventures (with / without expansion programme).

(ii) "**Form DI:** An Indian entity or an investment Vehicle making downstream investment in another Indian entity which is considered as indirect foreign investment for the investee Indian entity in terms of Regulation 14 of these Regulations shall file Form DI with the Reserve Bank within 30 days from the date of allotment of capital instruments."

(iii) After the existing clause (12) of sub-regulation 13.1, the following is inserted as Clause (13) namely:

(13) "Form InVi : An Investment vehicle which has issued its units to a person resident outside India shall file Form InVi with the Reserve Bank within 30 days from the date of issue of units."

[F. No. 1/22/EM/2016 Pt. (II)]

AJAY KUMAR MISRA, Chief General Manager

Foot Note:-The Principal Regulation was published in the Official Gazette vide G.S.R.No.1374(E) dated November 07, 2017 in Part II, Section 3, sub-Section (i) and subsequently amended as under

G.S.R.No.279(E) dated 26.03.2018

G.S.R.No.520(E) dated 01.06.2018

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.

ALOK KUMAR
Digitally signed by ALOK KUMAR
Date: 2018.09.04 16:30:52 +05'30'